न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 622-तीन/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 05-03-08 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म.प्र. प्रकरण क्रमांक 258 अपील/05-06.

रामावतार ब्राहम्ण तनय श्री रामदास ब्रा. (फौत)
ए. रामभक्त त्रिपाठी तनय श्री रामावतार त्रिपाठी
बी. चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी तनय श्री रामावतार त्रिपाठी
सी. प्रेमलाल त्रिपाठी तनय श्री रामावतार त्रिपाठी
डी. रोहिणी प्रसाद त्रिपाठी तनय श्री रामावतार त्रिपाठी
ई. लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी तनय श्री रामावतार त्रिपाठी
एफ. श्रीमती ललिता देवी पुत्री श्री रामावतार त्रिपाठी
2. रामसोहावन तनय रामकृपाल ब्रा.
सभी निवासी ग्राम बम्हौरी पोस्ट आफिस तिहाई
तह. रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र.

...............आवेदकगण

बनाम

1. लालमन मृत वारिस-
१- दिवाकर
२- अनिल पुत्रगण स्व0 लालमन
निवासीगण ग्राम बम्हौरी तहसील कोटर जिला सतना
2. रामसुन्दर तनय श्री केशव प्रसाद ब्रा.
निवासी ग्राम बम्हौरी पोस्ट आफिस तिहाई
तह. रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र.

................अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अधिवक्ता, आवेदक
श्री के.के. व्दिवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/01/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा द्वारा पारित दिनांक 05-03-08 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 250 कि तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26-02-93 को निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगणों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। जहां पर अपील को अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29-4-95 के द्वारा निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 05-03-08 के द्वारा निगरानी निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में कब्जा वापसी का आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया जहां तहसीलदार द्वारा जांच उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का पुस्तैनी कब्जा पाया जिसमें अनावेदक मकान बनाकर निवासरत है और पेड लगे हुये हैं। तहसीलदार द्वारा इस प्रकरण में 50 वर्षों के पूर्व से कब्जा होना माना है और संहिता की धारा 250 लागू होना नहीं मानते हुये आवेदक का आवेदन खारिज किया । सीमांकन की कार्यवाही में अनावेदकगण सूचित नहीं थे। आवेदकगण द्वारा सीमांकन उपरांत निर्धारित समय-सीमा में संहिता की धारा 250 का आवेदन विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखा गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में ऐसे कोई नये तथ्य पेश नहीं किये है जिससे अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 05-3-2008 स्थिर रखा जाता है।

29/01/2019

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर